



REC को महारत्न का दर्जा

हाल ही में ग्रामीण वदियुतीकरण नगिम (REC) को 'महारत्न' केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (CPSE) का दर्जा दिया गया है।

REC और महारत्न:

REC का परिचय:

- REC एक **गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC)** है, जिससे वर्ष 1969 में स्थापित किया गया था, जो पूरे भारत में बजिली क्षेत्र के वित्तपोषण और विकास पर ध्यान केंद्रित करती है।
- यह वदियुत मंत्रालय के अंतर्गत आती है।
- इसे नमिनलखिति के रूप में भारत सरकार की प्रमुख योजनाओं के लिये एक नोडल एजेंसी के तौर पर नियुक्त किया गया है:
 - **प्रधानमंत्री सहज बजिली हर घर योजना (सौभाग्य)**
 - **दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (DDUGJY)**
 - **राष्ट्रीय वदियुत कोष (NEF)**
- **उज्जवल डिजिटल एशियोरेंस योजना (उदय)** की नगिरानी में REC वदियुत मंत्रालय की भी सहायता करती है।
- **REC को महारत्न का दर्जा मिलने के लाभ:**
 - 'महारत्न' CPSE का बोर्ड वित्तीय संयुक्त उद्यम और पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों को शुरू करने के लिये इक्विटी नविश कर सकता है एवं भारत और वदिशों में वलिय और अधगिरहण कर सकता है, जो संबंधित CPSE के कुल मूल्य के 15% की सीमा तक सीमिति है। यह राशािक प्रोजेक्ट के लिये ₹5,000 करोड़ रुपए है।
 - बोर्ड कर्मियों और मानव संसाधन प्रबंधन तथा प्रशिक्षण से संबंधित योजनाओं का संरचना कार्य तथा कार्यान्वयन भी कर सकता है।
 - REC अब प्रौद्योगिकी संयुक्त उद्यम या अन्य रणनीतिक गठबंधनों में भी प्रवेश कर सकता है।

महारत्न का दर्जा:

- 'महारत्न' व्यवस्था की शुरुआत वर्ष 2010 में सार्वजनिक क्षेत्र के बड़े उद्यमों को वैश्विक दगिगज बनाने के उद्देश्य से की गई थी।
 - 'केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों' (CPSEs) का आशय उन कंपनियों से है, जिनमें केंद्र सरकार या अन्य CPSE की प्रत्यक्ष हसिसेदारी 51% या उससे अधिक होती है।
- 'महारत्न' का दर्जा उस कंपनी को दिया जाता है जिसने लगातार बीते तीन वर्षों में 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का शुद्ध लाभ प्राप्त किया है अथवा बीते तीन वर्षों के लिये उसका औसत वार्षिक कारोबार 25,000 करोड़ रुपए था या फरि बीते तीन वर्षों के लिये उसका औसत वार्षिक शुद्ध मूल्य 15,000 करोड़ रुपए है।
- 'केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों' के लिये भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने हेतु 'नवरत्न' का दर्जा प्राप्त करना अनविर्य है।
- सरकार ने CPSEs को महारत्न, नवरत्न और मनीरत्न का दर्जा देने के लिये मानदंड नरिधारित किये हैं।

CPSEs का वर्गीकरण			
श्रेणी	शुरुआत	मानदंड	उदाहरण
महारत्न	CPSEs के लिये महारत्न योजना मई 2010 में शुरू की गई थी, ताकमिगा CPSEs को अपने संचालन का वसितार करने और वैश्विक दगिगजों के रूप में उभरने के लिये सशक्त बनाया जा सके।	<ul style="list-style-type: none"> ■ कंपनियों को नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिये। ■ कंपनी को भारतीय प्रतभूति और वनियमि बोर्ड (Security Exchange Board of India- SEBI) के नयिमकों के अंतर्गत न्यूनतम नरिधारित सार्वजनिक हसिसेदारी (Minimum Prescribed Public Shareholding) के साथ भारतीय शेयर बाजार 	<ul style="list-style-type: none"> ■ भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लमितिड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लमितिड, कोल इंडिया लमितिड, गेल (इंडिया) लमितिड, आदि।

		<ul style="list-style-type: none"> में सूचीबद्ध होना चाहिये। ■ वगित तीन वर्षों की अवधि में औसत वार्षिक व्यवसाय (Average Annual Turnover) 25,000 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिये। ■ पछिले तीन वर्षों में औसत वार्षिक नविल मूल्य (Average Annual Net Worth) 15,000 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिये। ■ पछिले तीन वर्षों का औसत वार्षिक शुद्ध लाभ (Average Annual Net Profit) 5,000 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिये। ■ कंपनियों की व्यापार के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय बाजार में महत्त्वपूर्ण उपस्थिति होनी चाहिये। 	
नवरत्न	<ul style="list-style-type: none"> ■ नवरत्न योजना वर्ष 1997 में शुरू की गई थी ताकि उन CPSEs की पहचान की जा सके जो अपने संबंधित क्षेत्रों में तुलनात्मक लाभ प्राप्त करते हैं और वैश्विक अभिक्रिया बनने के उनके अभियान में उनका समर्थन करते हैं। 	<ul style="list-style-type: none"> ■ मनीरत्न श्रेणी - I और अनुसूची 'A' के तहत आने वाली CPSEs, जिन्होंने पछिले पाँच वर्षों में से तीन में समझौता ज्ञापन प्रणाली के तहत 'उत्कृष्ट' या 'बहुत अच्छी' रेटिंग प्राप्त की है और छह प्रदर्शन मापदंडों में 60 या उससे अधिक का समग्र स्कोर प्राप्त किया हो। ये छह मापदंड हैं: <ul style="list-style-type: none"> ○ शुद्ध पूंजी और शुद्ध लाभ ○ उत्पादन की कुल लागत के सापेक्ष मैनपॉवर पर आने वाली कुल लागत ○ मूल्यहरासके पहले कंपनी का लाभ, वर्कगि कैपिटल पर लगा टैक्स और ब्याज ○ ब्याज भुगतान से पहले लाभ और कुल बकिरी पर लगा कर ○ प्रता शेयर कमाई ○ अंतर-क्षेत्रीय प्रदर्शन 	<ul style="list-style-type: none"> ■ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हडिस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, आदी।
मनीरत्न	<ul style="list-style-type: none"> ■ मनीरत्न योजना की शुरुआत वर्ष 1997 में सार्वजनिक क्षेत्र को अधिक कृशाल एवं प्रतिसिपर्द्धी बनाने और लाभ कमाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को अधिक स्वायत्तता तथा शक्तियों का प्रत्यायोजन प्रदान करने के नीतगित उद्देश्य के अनुसरण में की गई थी। 	<ul style="list-style-type: none"> ■ मनीरत्न श्रेणी-1: मनीरत्न कंपनी श्रेणी 1 का दर्जा प्राप्त करने के लिये आवश्यक है कि कंपनी ने पछिले तीन वर्षों से लगातार लाभ प्राप्त किया हो तथा तीन साल में 	<ul style="list-style-type: none"> श्रेणी-1: भारतीय वमिानपत्तन प्राधिकरण, एंटरकिस् कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आदी। श्रेणी-2: भारतीय कृत्रमि अंग नरिमाण नगिम (ALIMCO), भारत पंप्स एंड कंप्रेसर्स

		<p>एक बार कम से कम 30 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ अर्जति कया हो ।</p> <p>■ मनीरत्न श्रेणी- 2 : CPSE द्वारा पछिले तीन साल से लगातार लाभ अर्जति कया हो और उसकी नविल संपत्ति सकारात्मक हो, वे मनीरत्न- II का दर्जा पाने के लयि पात्र हैं ।</p>	लमिटिड (BPCL), आदी
--	--	--	--------------------

स्रोत: पी.आई.बी.

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/maharatna-status-to-rec>

